



भारत सरकार/Government of India  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
Ministry of Labour & Employment  
खान सुरक्षा महानिदेशालय  
**Directorate General of Mines Safety**




मिसिल सं. डी-21013/19/2017-क्रय एवं भंडार (मु.)

सं. क्रय एवं भंडार (मु.)/शौचालय सामग्री/2017-18/ 342, धनबाद, दिनांक : 04-10-2017

टेंडर नोटिस

खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के कार्यालय में उपयोग हेतु परिशिष्ट - I में दिए गए विवरण के अनुसार शौचालय सामग्री की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित/प्राधिकृत वेंडरों से मुहरबंद निविदा दिनांक ~~27-10-2017~~ 27-10-2017 दोपहर 04.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। केंद्रीय लोक संगठन, नेशनल कॉपरेटिव कंज्युमर्स फेडरेशन, केंद्रीय भंडार, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, (एन.आई.एस.सी.), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या खान सुरक्षा महानिदेशालय के साथ निबंधित होनेवालों को छोड़कर अन्य बोली लगाने वालों के लिए अपना कोटेशन देने के लिए बोली जमानत के रूप में रुपये 1,220.00 (रुपये एक हजार दो सौ बीस) मात्र जमा करना आवश्यक है। बोली जमानत जमा "आदान एवं संप्रादान अधिकारी, डी.जी.एम.एस., धनबाद के नाम से आहरित धनबाद में भुगतये 'लेखा आदाता डिमांड ड्राफ्ट' के रूप में अथवा परिशिष्ट - II में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार कॉमर्शियल बैंक/बैंकर्स चेक से बैंक गारण्टी द्वारा होगा। कृपया अनुपालन हेतु पृष्ठ - 2 पर सामान्य शर्तें व अनुदेश देखें।



खान सुरक्षा उपनिदेशक/

प्रभारी क्रय एवं भंडार

खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद।

निविदादाताओं के लिए आवश्यक नियम एवं शर्तें :-

1. कृप्या दर को मदवार एवं क्रमवार स्पष्टतः दर्शायें।
2. कोटेशन में दी गई सामग्रियों का ब्रांड अवश्य दर्शायें।
3. सामग्री उत्तम गुणवत्ता (Good Quality) का नहीं होने पर उसे वापस लौटाया जा सकता है।
4. कोट (Quote) की गई सामग्री की दर सभी कर सहित (including GST) होने चाहिए। इसमें पैकिंग, परिवहन खर्च, बीमा, लोडिंग/अन-लोडिंग एवं निकासी आदि भी शामिल होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो कर छूट से संबंधित प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाए।
5. सामग्रियों की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
6. निविदा पर निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/कम्पनी की मोहर एवं अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।
7. कोटेशन में गारंटी का विवरण अवश्य दर्शायें।
8. अपूर्ण अथवा बिना बोली जमानत वाले निविदा स्वीकार्य नहीं होंगे।
9. निविदा खुलने की तारीख से छः माह तक दिया गया ऑफर खुला रहना चाहिए। इस अवधि के दौरान कोटेशन में दी गई दरों में कोई भी पुनरीक्षण/संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा।
10. यदि कोई सामग्री खराब/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो इसके स्थान पर 10 दिनों के भीतर नई सामग्री देनी होगी।
11. इस निदेशालय के पास बिना कोई स्पष्टीकरण दिये किसी एक या सम्पूर्ण निविदा को निरस्त करने अथवा कुल सामग्रियों को अलग-अलग भागों में स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
12. सम्पूर्ण सामग्री की संतोषजनक आपूर्ति करने एवं तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुतिकरण की तिथि से एक माह के भीतर देय राशि का भुगतान ई-पेमेंट द्वारा किया जाएगा।
13. दिए गए सूची से हटकर जो ऑफर दिया जाएगा, वह विचारणीय नहीं होगा।
14. सामग्रियों की आपूर्ति केंद्रीय भंडार, खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेवारी एवं खर्च पर करना होगा।
15. सुपुर्दगी की अवधि:- सामग्रियों की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक माह के भीतर सुपुर्द किया जाना आवश्यक है।
16. माइक्रो, स्मॉल एवं मेडियम इण्टरप्राइजेज (Micro, Small and Medium Enterprises) द्वारा रजिस्टर्ड फर्म के निविदा को प्राथमिकता दी जाएगी।

दिनांक  
24/10/17

परिशिष्ट-I

क्रमांक	वस्तु का विवरण	इकाई	प्रस्तावित एकाई	कोट (Quote) की दर सभी कर सहित	कुल राशि
1.	फूल झाड़ू	पीस	100		
2.	नारियल झाड़ू	पीस	100		
3.	हवील/निरमा सर्फ (500 ग्रा. प्रति पॉकेट)	पॉकेट	80		
4.	फिनाइल (500 मि.ली. प्रति बोतल)	बोतल	100		
5.	कॉलिन (500 मि.ली. प्रति बोतल)	बोतल	100		
6.	ब्लीचिंग पाउडर (500 ग्रा. प्रति पॉकेट)	पॉकेट	40		
7.	ऑल आऊट लिक्विड	बोतल	150		
8.	ऑल आऊट लिक्विड मशीन के साथ	पीस	50		
				कुल जोड	

दिनांक  
24/10/17

ई.एम.डी. हेतु बैंक प्रत्याभूति प्रारूप

चूँकि ..... ( इसके आगे 'बोलीकर्त्ता' कहा गया है ) ने खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के निविदा पत्र संख्या ..... के एवज में ( सामग्री का नाम/विवरण ) ( इसके आगे 'बोलीकर्त्ता' कहा गया है ) की आपूर्ति हेतु दिनांक ..... ( बोली जमा करने की तिथि ) को अपना बोली जमा किया है ।

मौजूद इन सभी व्यक्तियों को साक्षी मानते हुए हम ..... (बैंक का नाम) ..... ( देश का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में स्थित है ( बैंक का पता ) (इसके आगे "बैंक" कहा गया है) ..... को (क्रेता का नाम) (इसके आगे क्रेता कहा गया है) को ..... राशि, जिसका भुगतान वास्तविक तौर पर उचित क्रेता को किया जाएगा, को मंजूर करने के लिए स्वयं, अपने उत्तराधिकारियों तथा मौजूद साक्षियों को प्रतिबद्ध करता है । बैंक को सामान्य सील से ..... 2017 दिनांक ..... को सील किया गया ।

इस बंधन की शर्तें निम्नवत हैं :-

- 1) यदि बोलीकर्त्ता बोली प्रपत्र में दिये गये बोली की वैधता अवधि के दौरान बोली लेता है; या
- 2) यदि बोलीकर्त्ता बोली की वैधता अवधि के दौरान क्रेता द्वारा इसकी बोली के स्वीकृति की सूचना दी जाने के पश्चात :
  - क) सविदा प्रपत्र, यदि अपेक्षित है, का संपादन करने में विफल होता है या इंकार करता है ।
  - ख) बोलीकर्त्ता को दिये गये अनुदेश के अनुरूप निष्पादन प्रत्याभूति को पूरा करने में विफल होता है या इंकार करता है ।

हम क्रेता के मांग की पुश्ति के बिना इसके प्रथम लिखित मांग की प्राप्ति पर क्रेता को उपरोक्त राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं, बशर्त कि मांगपत्र में क्रेता यह नहीं करेगा कि मौजूदा शर्तों को विनिर्दिष्ट करने वाले दोनों शर्तों या उनमें से कोई एक के कारण दावा की गयी राशि, इसके कारण हैं ।

दिनांक  
29/02/17

यह प्रत्याभूति इस निविदा की खुलने की तिथि या बोली वैधता की अवधि इनमे जो पहले आए से छः माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा तथा उनके संदर्भ में कोई मांग उपरोक्त तिथि के पूर्व ही बैंक में भेजी जाए ।

बैंक का हस्ताक्षर

दिनांक  
04-10-17